



शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

## प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/डेवलप	सिग्नेचर बिल्डि	सिग्नेचर बिल्डिर्स प्राइवेट लिमिटेड					
<ol> <li>प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति</li> </ol>	लाइसेंस नं./वर्ष — 51/2019 दिनांक : 06.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 08.08.2019. मेमो न.: ZP-1110/AD(RK)/2019/19109. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 51 of 2019 dated 09.09.2019						
3. स्थान	सेक्टर 93, गुरुग्राम, हरियाणा।						
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 278 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी—सह—क्रेश।						
5. अपार्टमेंट के विवरण	, आवंटन दर औ	र भुगतान के नियम					
अपार्टमेंट के विवरण							
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर (20% + 12.5%)**	
2 BHK TYPE -01	118	539.384	78.114	21,96,593.00	109,830.00	713,895.00	
2 BHK TYPE -02	7	603.677	76.058	24,52,737.00	122,637.00	797,140.50	
2 BHK TYPE -03	106	594.916	70.849	24,15,088.50	120,754.00	784,901.00	
2 BHK TYPE -04	47	577.112	79.029	23,47,962.50	117,398.00	763,087.00	
दिनांक 05, जुलाई, 20	19 द्वारा किफायती	अवास नीति 2013	ने संशोधन किया गया है	सिक किश्तों मे देय राशि के   भुगतान की नियत तिथि से प  यम, 2017 के नियम 15 में प्राव	ाहले कोई ब्याज नहीं लगेगा <b>।</b>		
6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।						
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोंड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।						
8. आवेदन की	i) आवंदन पत्र और ऑनलाइन आवंदन करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है, आवंदन शुल्क 1000 रुपये का भुगतान करके						

योग्यता: 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लामार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पित) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा शहरी क्षेत्र या कंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेस्ड कॉलोनी में अपना पत्नेट 'प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अभ्य किसी वाई पीएमएवाई लामार्थीय किसी वाई पीत के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अभि को केवल एक पत्नेट चुनना होगा।

21.05.2020 से शुरू हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए 7053—121—121 पर कॉल करें ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 20-06-2020.

<mark>आवंटन के मानक : 1.</mark> अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लांट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन में जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवंदकों को लोट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आर्थिटन के किए निर्धारित समय सीमा के लिए आवंदक अफोडेबल सुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48821 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विमागीय वेबसाइट tcpharyana.govin पर उपलब्ध हैं।







SIGNATURE BUILDERS PRIVATE LIMITED | CIN: U70101DL2011PTC220275

Regd. Office - 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

**HOME LOAN PARTNER** 











समय सीमाएँ